गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 21 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश के किसानों ने की गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग

उत्तर प्रदेश के किसानों ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कृषि लागत में बढ़ोतरी के कारण गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 350 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

यह मांग गन्ना मूल्य निर्धारण उप समिति की अगुआई कर रहे उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा के सामने उठाई गई। समिति की आज हुई बैठक में किसानों, गन्ना समितियों, चीनी मिलों, शोध संस्थानों आदि के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अब इस मसले पर 28 अक्टूबर को होने वाली मुख्य सचिव की अगुआई वाली समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार हर साल विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) का निर्धारण किया जाता है। एसएपी मिलों द्वारा किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम गन्ना मूल्य है और यह केंद्र के उचित एवं लाभकारी मूल्य से ज्यादा होता है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने समान प्रजाति के गन्ने के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल कीमत निर्धारित की थी, जिसकी उत्तर प्रदेश में गन्ने की कुल पैदावार में लगभग 70 फीसदी हिस्सेदारी रहती है। हकीकत में राज्य ने बीते साल एसएपी में बढ़ोतरी नहीं की थी और इसे 2012-13 के स्तर पर बरकरार रखा था, हालांकि किसान 300 रुपये प्रति क्विंटल कीमत की मांग कर रहे थे।

बीते साल निजी चीनी मिलों ने अपनी भुगतान क्षमता 240 रुपये प्रति क्विंटल होने का दावा किया था और इससे ज्यादा कीमत देने पर नुकसान व बकाये में बढ़ोतरी की बात कही थी। इस मसले का समाधान तब निकला जब राज्य ने मिलों को रियायतें देने और गन्ना मूल्य निकालने का स्थायी फॉर्मूला निकालने के लिए एक समिति का गठन करने का वादा किया था।

इस साल भी निजी मिलों ने सरकार को पेराई सत्र निलंबित करने की सूचना दी थी, क्योंकि समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की थी। हालांकि सोमवार शाम चीनी मिलों ने समय से पेराई शुरू करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि चीनी मिल मालिकों ने इसके लिए कुछ शर्त भी रखी हैं और सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

बिजनेस स्टैन्डर्ड
22/10/14